(v) इस कार्यक्रम का पूर्णकालिक संकाय आगे वर्णित के लिए जिम्मेदार होगा: आमने सामने कार्यक्रम के दौरान शिक्षण; स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण; पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के नियोजन, डिजाइनिंग तथा प्रायोगिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा छात्र प्रदत्त–कार्यों के संबंध में छात्रों को फीडबेक प्रदान करना तथा सिद्धान्त और प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक आंकलन आयोजित करना साथ ही वे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रयोग के लिए समुचित पठन/संसाधन सामग्री संकलित और विकसित करेंगे।

6.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

टीईआई में उपलब्ध प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ इस कार्यक्रम के आयोजन में भी सहयोजित किया जाएगा।

6.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की चयन प्रक्रिया सहित उनकी सेवा शर्तें और उपबन्ध, वेतनमान अधिवार्षिकी की आयु तथा अन्य लाभ राज्य सरकार/सम्बन्धन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

7. सुविधाएं

7.1 आधारिक सुविधाएं

क्योंकि वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम तथा आमने–सामने शिक्षण उस समय आयोजित किया जाएगा जबकि नियमित कक्षाएं नहीं चला रही होंगी इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त आधारित सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं होगी।

तथापि आमने–सामने सम्पर्क कार्यक्रम तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दौरान बाहरी स्थानों से आए छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था वांछनीय होगी।

7.2 उपकरण और सामग्री

इस कार्यक्रम में दाखिल छात्रों के लिए संस्थान में उपलब्ध मौजूदा पुस्तकालय तथा आईसीटी संसाधन और सुविधाएं, पाठ्यचर्या संसाधन और सामग्री, दृश्य कलाएं तथा निष्पादन कला सामग्री और संसाधन, तथा खेल/खेलकूद सुविधाएं सहज सुलभ होंगी। जहां कहीं जरूरत होगी टीईआई के पास उपलब्ध सुविधाओं का और आगे संवर्धन किया जाएगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधाएं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार स्टाफ सदस्य, उस समय उपलब्ध रहें जब आमने–सामने शिक्षण अथवा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति बी.एड(अंशकालिक) कार्यक्रम सहित संस्थान के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और मानीटरन करेगी।

परिशिष्ट–15

तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड–एम.एड डिग्री कार्यक्रम, 2014 के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम शिक्षा में तीन वर्ष का पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें 3 वर्षों के अध्ययन को पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा में अध्यापक–शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्या विकासकर्ता, शिक्षा नीति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक), अथवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ एकीकृत बी.एड–एम.एड डिग्री प्राप्त होगी।

2. आवेदन करने के लिए पात्र संस्थान

(i) **राअशिप** (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो बी.एड और एम.एड पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जो कम से कम पांच वर्षों से मौजूद हैं और जिनके पास न्यूनतम बी ग्रेड के साथ एनएएसी प्रत्यायन है।

(ii) **मुक्त** (ओपन) विश्वविद्यालयों से भिन्न यूजीसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग/स्कूल।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित संस्थानों में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए रिहायशी आवास स्थान होगा।

3. अवधि और कार्य दिवस

3.1 अवधि

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, जिसमें दो ग्रीष्म–काल शामिल हैं। विद्यार्थियों को इस तीन वर्षीय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को कार्यकम में प्रवेश की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्षों के लिए पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। सिमेस्टर और/अथवा वार्षिक सारणी सम्बद्धक निकाय द्वारा राअशिप द्वारा कार्यक्रम के लिए विकसित किए गए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में सुझाए गए क्रेडिट सिस्टम के आधार पर और स्कूलों, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत संगठनों में प्रशिक्षुता/संलग्नता की अनुबद्ध अवधि, सामुदायिक कार्य और अन्य क्षेत्र–आधारित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट घंटों के रूप में तैयार की जाएगी। ग्रीष्म–काल और दो शैक्षणिक वर्षों के अन्तर–सेमिस्टर अन्तरालों का उपयोग फील्ड संलग्नता/प्रशिक्षुता, अन्य प्रयोगात्मक क्रियाकलापों और/अथवा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए। स्कूल अनुभव के लिए क्रेडिट नियतन कम से कम 16 क्रेडिट का और किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान के साथ संलग्नता के लिए 4 क्रेडिट का होना चाहिए।

3.2 कार्य दिवस

प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ पन्द्रह(215) कार्य–दिवस होने चाहिएं, जिसमें दाखिले की अवधि शामिल नहीं है, लेकिन कक्षा में कार्य–निष्पादन, प्रयोगात्मक कार्य, फील्ड अध्ययन/स्थानबद्ध प्रशिक्षण और परीक्षा लिए जाने की अवधि शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्म–काल की छुट्टियों का उपयोग स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रयोगात्मक कार्य/सिखाए गए संघटकों के लिए किया जाएगा। संस्था एक सप्ताह (यथास्थिति पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान कार्यक्रम के संचालन से संबंधित शिक्षक और विद्यार्थी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए, जिनमें विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक कार्य और विद्यार्थियों को सलाह देना शामिल है, उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम की कुल अवधि, जिसमें ग्रीष्मकालीन सत्र और अन्तर–सेमिस्टर अन्तराल शामिल हैं, मोटे रूप से छः–छः दिनों के 107 सप्ताह होंगे, जो कुल मिला कर 640 दिन की होती है। विद्यार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों और प्रायोगिक कार्य के लिए 80 प्रतिशत और क्षेत्र संलग्नता के लिए 90 प्रतिशत होगी।

4. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और फीस

4.1 दाखिला क्षमता

इस कार्यक्रम के लिए बुनियादी यूनिट आकार 50 होगा। एक संस्था को केवल एक यूनिट की अनुमति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट की अनुमति अवसंरचना, संकाय और अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर और उसके बाद दी जाएगी जब संस्था पांच वर्ष तक यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हो और उसे नेक द्वारा अथवा राअशिप द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रत्यायन एजेंसी द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड प्रदान किया जा चुका हो।

4.2 पात्रता

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विज्ञानों/समाज विज्ञानों/मानविकी विषयों में कम से कम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर डिग्री।

वांछनीय: यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रूचि और अनुभव हो।

4.3 प्रवेश की प्रक्रिया

प्रवेश अर्हक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सम्बद्धक विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार चयन की किसी प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के आधार दिया जाएगा।

अनु.जा./अनु.ज.जा/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए स्थान आरक्षण और अंकों में ढ़ील केन्द्रीय/राज्य सरकार के उन नियमों के अनुसार होगी, जो लागू हो।

4.4 फीस

संस्था केवल वह फीस लेगी, जो सम्बद्धक निकाय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर संशोधित किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (गैर–सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित की गई हो, और विद्यार्थियों से कोई दान, प्रति व्यक्ति फीस, आदि नहीं लेगी।

5. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

बी.एड–एम.एड एकीकृत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में **कोर और विशेषज्ञता संघटक** शामिल होंगे। मूल में ये संघटक शामिल होंगे: (i) परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम; (ii) अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास संघटक, जिनमें शोध–निबंध, पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं शामिल होगी; (iii) अध्यापक शिक्षा संघटक, जिनमें पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं

के साथ स्थानबद्ध प्रशिक्षण/संलग्नता शमिल होंगे; (iv) स्कूल–संबंधित क्षेत्र अनुभव विशेषज्ञता संघटक में 2 स्तर होंगे, जिनमें विद्यार्थी निम्नलिखित में विशेषज्ञता प्राप्त करने का चुनाव करेंगे: क) स्कूल स्तरों/क्षेत्रों में से एक प्रारंभिक अथवा उच्च माध्यमिक सहित माध्यमिक) और स्कूल विषय क्षेत्रों में विषय–वस्तु व शिक्षाशास्त्र, जिनमें विशेषज्ञता के भीतर कोर शामिल होगा, और ख) चुने गए स्कूल स्तर के भीतर विद्यार्थी विशेषज्ञता के लिए प्रभाव–क्षेत्र/मूल विषय आधारित क्षेत्र चुनते हैं (जैसे शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन, शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा के आधार अर्थात नीवें, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, आदि)

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

परिप्रेक्ष्य; अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास, अध्यापक शिक्षा और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम

परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम इन क्षेत्रों में होंगे: शिक्षा का दर्शन–शास्त्र; शिक्षा का समाज–विज्ञान–इतिहास–राजनीतिक अर्थशास्त्र; शिक्षा का मनोविज्ञान; शिक्षा अध्ययन; और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन। आधारिक विषयों के पाठ्यक्रमों के दो स्तर (बुनियादी और उच्च) होंगे। शिक्षा के संबंध में लिंग, बचपन, अशक्तता, और हाशिए पर लगाए जाने पर विवेचनात्मक मनन कोर के आर–पार होगा और इन पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की सम्भावना होगी। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम भावी व्यवसायिकों को समावेशी कक्षा पर्यावरणों और शिक्षा की ओर कार्य करने में समर्थ बनाएंगे।

अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास संघटक में बुनियादी तथा उच्च स्तरीय शिक्षा अनुसंधान तरीकों के बारे में कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम, शोध निबंध की ओर ले जाने वाली अनुसंधान परियोजना, अकादमिक/व्यावसायिक लेखन, संवाद कौशल, बच्चों का प्रेक्षण, भाषा और अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा में रंगमंच, शैक्षिक प्रौद्योगिकी (आईसीटी सहित) और ऐसे अन्य विषय शामिल होंगे। विद्यार्थियों के आत्म–विकास के लिए (उदाहरण के लिए ध्यान, योग जैसे तरीकों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस वाली कार्यशालाओं के जरिए) लिंग तथा शिक्षा के साथ विवेचनात्मक व्यस्तता, समावेशी शिक्षा और ऐसे ही महत्व वाले क्षेत्रों के लिए व्यवस्थाएं होंगी। आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी कौशलों को इस कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को भी, जो अध्यापक शिक्षा संस्था(ओं) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण /संलग्नता के भी साथ जुड़े हुए हैं, शामिल किया जाएगा।

विशेषज्ञता संघटक किसी एक स्कूल अवस्था (प्रारंभिक अथवा उच्च माध्यमिक सहित माध्यमिक, आदि) में विशेषज्ञता प्राप्त करने की संभावना प्रस्तुत करेगा। इनमें स्कूल विषयों के विषय–वस्तु–व–शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम शामिल होंगे। स्कूल स्तरीय विशेषज्ञताओं के भीतर अन्य पाठ्यक्रम उस अवस्था से सम्बन्धित चुने हुए विषयक क्षेत्रों को कवर करेंगे, जैसे: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; नीति, अर्थशास्त्र और योजना–निर्माण; समावेशी शिक्षा और विभिन्न रूपों में समर्थ व्यक्तियों के लिए शिक्षा; आदि। इसके अलावा, यह कार्यक्रम शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन; शिक्षा नीति और योजना; समावेशी शिक्षा; पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; शैक्षिक प्रौद्योगिकी; शिक्षा के आधार; और ऐसे अन्य विषयों में उन्नत पाठ्यक्रमों के साथ चुने हुए विषयों अथवा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की टोकरी प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थियों को किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ आधार पाठ्यक्रमों को चुनने की अनुमति देने में लचीलापन होगा।

(ख) प्रायोगिक कार्य

कार्यशालाओं, प्रायोगिक कार्य क्रियाकलापों, परियोजनाओं और संगोष्ठियों का आयोजन; जो विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशलों और जानकारी को बढ़ाते हैं, पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यापन के तरीके का भाग होगा। पाठ्यचर्या के सम्पन्न होने के दौरान संगत स्थानों पर तत्काल प्राप्त होने वाले अनुभवों का आयोजन किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षुता और संलग्नता

तीन वर्षीय कार्यक्रम को छः–छः दिनों वाले कम से कम 30 सप्ताहों के बराबर का समय क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार के सुव्यवस्थित रूप से नियोजित क्षेत्र–आधारित क्रियाकलाप और प्रशिक्षुताएं/संलग्नताएं होंगी: 1. स्कूल–स्तर के विशेषीकरण के अनुसार स्कूल–आधारित संलग्नता, जिसमें स्कूल और कक्षा प्रेक्षण, कक्षा में अध्यापन का अभ्यास, और संकेन्द्रित नियत कार्य/परियोजनाएं शामिल होंगी(16 सप्ताह); 2. समुदाय के साथ कार्य करना; 3. स्कूल स्तर की विशेषज्ञता के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा संदर्भ में कार्य करना और स्कूल–सतर की विशेषज्ञता के अनुसार सेवा–पूर्व अध्यापक तैयारी संदर्भ में कार्य करना(4 सप्ताह;) 4. पाठ्यचर्या और/अथवा स्कूलों से भिन्न अन्य स्थलों पर शैक्षिक पद्धति की समझ के लिए संगत पाठ्यपुस्तक एजेंसी, नीति निर्माता निकाय, राज्य शिक्षा विभाग, आदि के साथ अभिज्ञता अर्थात् आमना–सामना; और 5. विशेषज्ञता के विषयक अथवा फोकस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र स्थिति में कार्य करना (4 सप्ताह)। इन अनुभवों की अनुपूर्ति मनन, कार्य अनुसंधान और लेखन के अवसरों से की जाएगी।

5.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

संस्था को अध्ययन के इस व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा:

(i) सभी क्रियाकलापों के लिए, जिनमें प्रशिक्षुता, प्रयोगात्मक कार्य, मूल्यांकन और शोध–प्रबंधन प्रस्तुत करना भी शामिल है, एक कैलेंडर तैयार करें। स्कूल प्रशिक्षुता और स्कूल सम्पर्क के अन्य कार्यक्रमों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।

(ii) स्कूलों, अध्यापक शिक्षा संस्थानों और अन्य संगठनों, जैसे समुदाय/समुदाय–आधारित संगठनों, नवाचारी पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों, आदि के विकास में संलग्न संगठनों, पाठ्यचर्या डिजाइन, पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षा नीति के नियोजन, निर्माण और कार्यान्वयन, +2 शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में शामिल अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सरकारों के साथ स्थानबद्ध प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए, अथवा 3 वर्षीय कार्यक्रमों में प्रस्तुत किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार फील्ड–नेटवर्किंग प्रबन्ध करें।

(iii) पाठ्यचर्या में सुझाई गई कार्यशालाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करें।

(iv) शोध–निबन्ध का कार्य कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के दूसरे सिमेस्टर में शुरू होगा और अंतिम वर्ष के सिमेस्टर में प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यार्थियों के शोध–निबन्ध और मूल्यांकन के लिए प्रबंध करें। शोध–निबन्ध के कार्य के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के प्रति संकाय का अनुपात 1:5 होगा।

(v) संस्थान विद्यार्थियों और संकाय के लिए आवधिक रूप से गोष्ठियां, वाद विवाद, भाषण और चर्चा समूह आयोजित करके शिक्षा में भाषणों, प्रवचनों की शुरूआत करेंगे।

(vi) विद्यार्थियो और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों का समाधान करने की व्यवस्था करें।

5.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त कार्यक्रम के लिए, कम से कम 30 प्रतिशत अंक सतत और व्यापक आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और अधिक से अधिक 70 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा संचालित परीक्षा के लिए नियत किए जाएंगे। सिद्धान्त और प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन का भारांश वह होगा, जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मोटे रूप से उपर्युक्त सूत्र के आधार पर विहित किया गया होगा। कार्यक्रम में कुल अंकों/क्रेडिटों के कम से कम एक–चौथाई अंक/क्रेडिट प्रयोगात्मक कार्य और स्थानबद्ध प्रशिक्षण/क्षेत्र संलग्नता और शोध–निबन्ध को दिए जाएंगे।

आन्तरिक मूल्यांकन में व्यक्ति/समूह के लिए नियत किए गए कार्य, गोष्ठियों में किए गए प्रस्तुतीकरण, क्षेत्र संलग्नता रिपोर्टें, विचारशील जर्नल, ए वी सामग्रियों के डिजाइन, आदि शामिल हो सकते हैं। मूल्यांकन का आधार और उसके लिए इस्तेमाल किए गए मानदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिएं, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों की सूचना दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो।

6. स्टाफ

6.1 शैक्षिक संकाय

50 विद्यार्थी प्रति यूनिट के दाखिले के लिए, इस कार्यक्रम के वास्ते संकाय – विद्यार्थी अनुपात 1:15 होगा। संकाय पदों का वितरण इस प्रकार होगा:

1.	प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष(प्रोफेसर के पद (रैंक) में:	एक
2.	प्रोफेसर :	एक
3.	सह प्रोफेसर :	दो
4.	सहायक प्रोफेसर :	छः

संकाय के प्रोफाइल बी.एड–एम.एड कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों/छात्रों को कवर करेंगे।

6.2 योग्यताएं

क. *प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष*

(i) किसी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.एड।

(iii) शिक्षा में पीएच.डी।

(iv) अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा में 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

ख. *प्रोफेसर और सह प्रोफेसर*

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एड अथवा एम.ए शिक्षा)।

(iii) शिक्षा में अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में पीएच डी डिग्री।

(iv) प्रोफेसर और सह प्रोफेसर के पदों के लिए यूजीसी अथवा राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार कोई अन्य योजना अथवा व्यावसायिक अध्यापन अनुभव की अवधि।

ग. *सहायक प्रोफेसर*

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एड अथवा एम.ए शिक्षा)।

(iii) यूजीसी अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की गई कोई अनरू योग्यता (जैसे एनईटी)।

(टिप्पणी: अध्यापन के लिए संकाय का उपाय एक लचीले तरीके से किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम लाभ उठाया जाए। विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर निर्भर करते हुए संकाय का उपयोग संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सांझे रूप से किया जा सकता है)।

6.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक सहायता स्टाफ

(क) निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ मुहैया किया जाएगा:

(i) कार्यालय प्रबन्धक :एक

(ii) आईटी कार्यकारी/अनुरक्षण स्टाफ : एक

(iii) पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता : एक

(iv) क्षेत्र समन्वयकर्ता : एक

(v) कार्यालय सहायक : दो

(vi) हेल्पर : एक

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों में, प्रशासनिक स्टाफ विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार तैनात किया जाएगा।

6.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें; जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

7. भौतिक सुविधाएं और उपस्कर

7.1 आधारिक(भौतिक) सुविधाएं

पहले से एक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम वाली और एक बुनियादी यूनिट के लिए बी.एड–एम.एड प्रस्तुत करने वाली संस्थान के पास कम से कम 3000 वर्ग मीटर भूमि होगी। तदनुरूप निर्मित क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर का होगा। एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए, न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(क) संस्थान में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

(i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं के दो कमरे

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक बहुप्रयोजनी हाल

(iii) पुस्तकालय–व–वाचनालय

(iv) संसाधन केन्द्र

(v) स्कूल विषयों के लिए प्रयोगशालाएं

(vi) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्र

(vii) प्रिंसिपल का कार्यालय

(viii) संकाय, सदस्यों के लिए बैठने और भंडारण के प्रबंध

(ix) प्रशासनिक कार्यालय

(x) आगन्तुक कक्ष

(xi) विद्यार्थियों के लिए कामन रूम

(xii) पुरूष और महिला विद्यार्थियों, स्टाफ और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधाएं

(xiii) स्टोर रूम

(xiv) बहुप्रयोजनी खेल मैदान

(ख) कक्षाओं के कमरे

50 विद्यार्थियों के एक यूनिट के दाखिले के लिए, सभी विद्यार्थियों के वास्ते पर्याप्त स्थान और फर्नीचर के साथ कम से कम तीन कक्षा कमरों की व्यवस्था होगी। कक्षा के कमरे का न्यूनतम आकार 50 वर्ग मीटर होगा। संस्थान वैकल्पिक, शिक्षकीय और समूह चर्चाएं आयोजित करने के लिए 30–30 वर्ग मीटर के आकार के कम से कम तीन छोटे कमरे मुहैया करेगा।

(ग) गोष्ठी कक्ष

संस्था में बहुप्रयोजनी हाल का उपयोग सांझे रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थान में गोष्ठी कक्ष होगा, जिसमें एक सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और जिसका कुल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर का होगा। इस हाल को गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सज्जित किया जाएगा।

(घ) संकाय के लिए कमरे

संकाय के प्रत्येक सदस्य के लिए एक अलग कमरा मुहैया किया जाएगा, जिसमें एक चालू कम्प्यूटर और भंडारण का स्थान होगा।

(ड.) प्रशासनिक कार्यालय का स्थान

संस्थान कार्यालय स्टाफ के लिए, फर्नीचर, स्टोरेज और कम्प्यूटर सुविधाओं के साथ काम करने के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया करेगी।

(च) कॉमन कमरे

संस्थान कम से कम दो कामन कमरे सुलभ कराएगा।

7.2 उपस्कर और सामग्रियां

(क) संस्थान की विद्यार्थी अध्यापकों के क्षेत्र कार्य के लिए उनके अध्यापन–अभ्यास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए युक्ति संगत फासले के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों तक आसानी से पहुंच होगी। संस्थान स्कूलों की यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अध्यापन के अभ्यास के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हैं। राज्य शिक्षा प्रशासन विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को स्कूल आबंटित कर सकता है। विद्यार्थियों की 1000 (एक हजार) और 2000 (दो हजार) तक की संख्या वाले स्कूल के साथ क्रमशः दस और बीस से अधिक विद्यार्थी–अध्यापक संलग्न नहीं किए जाएंगे। यह वांछनीय है कि संस्था के पास एक संलग्न स्कूल हो, जो उसके नियंत्रणाधीन हो।

(ख) संस्थान/विश्वविद्यालय के **पुस्तकालय** का उपयोग सांझे रूप से किया जाएगा और वह इस कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तीन–वर्षीय कार्यक्रम के लिए वहां पर कम से कम 1000 संगत शीर्षक अर्थात पुस्तकें (आवश्यक और बार–बार इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों की अधिक प्रतियां) होंगी। इनमें अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें, विद्यार्थियों की अनुसंधान रूचियों से संगत पठन सामग्री और साहित्य, शैक्षिक विश्वकोश, आनलाइन संसाधनों सहित इलेक्ट्रानिक प्रकाशन और कम से कम सात व्यावसायिक अनुसंधान जर्नल शामिल होंगे, जिनमें तीन विदेशी जर्नल होंगे। पुस्तकालय संसाधनों में एनसीटीई, इनसीईआरटी, और अन्य सांविधिक निकायों द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा सिफारिश की गई पुस्तकें और जर्नल शामिल होंगे। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान की व्यवस्था भी होगी, जिसमें किसी एक समय कम से कम तीस व्यक्ति बैठ सकते हों। पुस्तकालय में हर वर्ष उच्च कोटि की कम से कम एक सौ पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिएं। पुस्तकालय में संकाय और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए इंटरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर और फोटोप्रतियां तैयार करने की सुविधा भी होनी चाहिए।

(ग) **संसाधन केन्द्र** एक संसाधन केन्द्र–व–विभागीय पुस्तकालय–व–कम्प्यूटर केन्द्र के प्रयोजन को पूरा करेगा। यह इन चीजों तक पहुंच मुहैया करेगा: अध्यापन और शिक्षाप्राप्ति के लिए क्रियाकलापों को तैयार करने के लिए और उनका चुनाव करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और सामग्रियां; संगत पाठ्य पुस्तकें, नीति दस्तावेजों और आयोगों की रिपोर्टों की प्रतियां; संगत पाठ्यचर्या दस्तावेज, जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, अनुसंधान रिपोर्टें, सर्वेक्षण रिपोर्टें (राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय), जिला राज्य स्तरीय डाटा; अध्यापकों के गुटके; पाठ्यक्रम पठन के लिए संगत पुस्तकें और जर्नल; फील्ड रिर्पोटें; विद्यार्थियों द्वारा हाथ में ली गई अनुसंधान गोष्ठियां; श्रव्य दृश्य उपस्कर – टीवी, डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बच्चों की फिल्में, सामाजिक सरोकारों/संघर्ष के मुद्दों की अन्य फिल्में, शिक्षा संबंधी फिल्में); कैमरा और अन्य रिकार्डिंग उपकरण; कम्प्यूटरों और इंटरनेट सुविधाओं के साथ आईसीटी सुविधाएं; और वांछनीय रूप से आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल)।

(घ) सामान्य इन्डोर खेलों और आउटडोर सामान्य खेलों के लिए खेलने के उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं।

(ड.) साधारण संगीत उपकरण, जैसे हार्मोनियम, तबला, मंजीरा और अन्य देशी वाद्य यंत्र।

7.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षणिक और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संस्थान में क्रियाशील और उपयुक्त प्रयोगशालाएं।

(ख) वाहनों को खड़ा करने के प्रबंध किए जाएं।

(ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल के प्राप्त होने की व्यवस्था की जाए।

(घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने, जल और शौचालय सुविधाओं (पुरूष और महिला विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग–अलग), फर्नीचर अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनके प्रतिस्थापन के लिए प्रभावकारी प्रबन्ध किए जाएं।

(टिप्पणी: यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हों, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) और शैक्षणिक स्थान की सुविधाओं का उपयोग सांझे रूप से किया जा सकता है। संस्था में समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसिपल होगा और संस्था में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष होंगे।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबन्धन समिति होगी, जिसमें संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/प्रबन्धन सोसाइटी/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद्, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य, क्षेत्र संलग्नता कार्य के लिए निर्धारित की गई दो संस्थाओं के अध्यक्ष (उन स्कूलों में बारी बारी द्वारा, जिनके साथ टीईआई जुड़ी हुई है) शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के विभागों के मामले में, प्रबन्धन और शासन का ढांचा वह होगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय संविधियों में की गई होगी।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the, 28th November, 2014

No. F. 51-1/2014-NCTE (N&S).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure)Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993);

(b) "composite institution" means a duly recognised higher education institution offering undergraduate or postgraduate programmes of study in the field of liberal arts or humanities or social sciences or sciences or commerce or mathematics, as the case may be, at the time of applying for recognition of teacher education programmes, or an institution offering multiple teacher education programmes;

(c) "closure" means discontinuation of recognition of programmes or institution permitted by the Council on the basis of a formal application submitted by the institution;

(d) all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meanings respectively as assigned to them in the said Act.

3. Applicability.--These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes for preparing norms and standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in the existing programmes including the following, namely:—

(a) recognition for commencement of new teacher education programmes which shall be offered in composite institutions;

(b) permission for introduction of new programmes in existing teacher education institutions duly recognized by the Council;

(c) permission for additional intake in the existing teacher education programmes duly recognised by the